

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को मिलने लगा धोलावाड़ का मीठा पानी

पेयजल सप्लाया प्रारंभ होने पर माना आभार

रतलाम 06 सितम्बर। मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु 01 सितम्बर को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान दिये निर्देश के तहत निगम के जलप्रदाय विभाग द्वारा तत्परता से पाईप लाईन को दुरुस्त कर 06 सितम्बर सोमवार से पेयजल सप्लाया पूर्व क्षेत्रिय पार्शद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणाए उपयंत्री श्री सुहास पंडित व झोन प्रभारी श्री नीरज यादव की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।

मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु तत्परता से कार्य करते हुए मात्र 6 दिनों में पानी पेयजल सप्लाया प्रारंभ करने पर पूर्व क्षेत्रिय पार्शद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणा व रहवासियों द्वारा विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य जी काष्यपए कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तमए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया का आभार व्यक्त किया।

गाय व अन्य पशुओं के तबेले व बाड़े आज 7 सितम्बर तक स्वयं हटा लेवें

समयावधि पश्चात नगर निगम द्वारा तोड़े जायेंगे तबेले व बाड़े

वसूल की जायेगी 15 हजार रुपये प्रति घंटा के मान से तोड़ने की राशि

रतलाम 6 सितम्बर । रतलाम शहर में गाय व अन्य मवेशियों के बाड़े एवं तबेले मवेशी पालक द्वारा 7 सितम्बर मंगलवार तक हटाने के निर्देश कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम ने गवली समाज व अन्य पशु पालकों को दिये।

नगर निगम सभागृह में 04 सितम्बर शनिवार को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री पुरुषोत्तम द्वारा नागरिकों नगर निगम से संबंधित शिकायतें

सुनने व निराकरण करने के दौरान गवली समाज व अन्य पशु पालकों द्वारा अपने बाड़े व तबेले स्वयं तोड़े जाने हेतु समय की मांग किये जाने पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरुषोत्तम ने उन्हें 3 दिवस का समय दिया। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशी व उनके बाड़े व तबेलों शहर तो गंदा होता ही है साथ ही उत्पन्न गंदगी से मच्छर पैदा होते हैं जिससे नागरिकों को मच्छर जनित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में डेंगू के प्रकोप शहर में बढ़ता जा रहा है इस पर काबू पाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा संपूर्ण शहर में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम एक्ट के विरुद्ध शहर में संचालित गायए भैंसए सूअर व अन्य पशुओं के तबेले एवं बाड़े तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। मवेशी पालकों के अनुरोध पर उन्हें तीन दिवस का समय दिया गया है नियत समयावधि में मवेशी पालक द्वारा तबेले व बाड़े स्वयं नहीं हटाते हैं तो उन्हें नगर निगम द्वारा तोड़ा जाकर 15 हजार रुपये प्रतिघन्टा के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जावेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

6 सितम्बर को 90 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 06 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 06 सितम्बर रविवार को 90 टन कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

06 सितम्बर सोमवार को डम्पर व टे<sup>a</sup>क्टर से 41035ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 32300ए काम्पेक्टर गीला 16365 व मैजिक 1070 किलो इस तरह कुल 90700 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना  
गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें  
रतलाम 06 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम  
रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व  
नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं मलबा  
डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट  
फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 06 सितम्बर को 9  
व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने  
पर मुरली मच्छीवाला जावरा फाटक पर 1500ए जुबेरए शर्माजीए नाथुलालए  
प्रकाश महावीर कृषि उपज मण्डीए नवीन जावरा फाटकए महावीर महु रोडए  
कैलाश शर्मा डाट की पुल पर 500.500 व दीपक राठौर जावरा फाटक पर  
200 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश  
दी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा  
करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी  
श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930ए झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं.  
7471144931ए श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932ए श्री विनय चौहान मो.नं.  
8770535145ए श्री विराट मेहरा 9770326691ए स्पॉट फाईन दल के पवन  
झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736  
मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को  
देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना  
रतलाम 06 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो  
पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं उनके वाहन  
जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ  
झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 06 सितम्बर

सोमवार को नो पार्किंग में खड़े 4 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जलत कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 06 सितम्बर सोमवार को चांदनी चौक व लोकेन्द्र टॉकिज क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर जितेन्द्र-माणक सिंह चितावद पर 500ए दीपक-श्रेणिकए गौतम-ओमप्रकाश शर्मा अलकापुरीए रजत-प्रकाशचन्द्र पर 200.200 रूपये का जुर्माना किया गया।

1320 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 06 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 06 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1320 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 06 सितम्बर को अलकापुरी चौराहाए अम्बे माता चौकए अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए शनि मंदिर क्षेत्र से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 06 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 10ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20ए000६ का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 06 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 06 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 06 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/06ण09ण2021धन.पा.निगमए रतलाम.